ग्राम पंचायत कोठीबंडा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि० प्र० – 176205
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोठीबंडा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती मनप्रीत कौर	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कुलवन्त सिंह	01/04/2022 से 31/05/2023
2.	श्री राज कुमार	01/06/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सरिता रानी	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजना कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कोठीबंडा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2(क)	वित्त वर्ष 2022-23 में E-Gram Swaraj में दर्ज वार्षिक प्राप्ति व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति में अंतर पाया जाना (Except SBM (PFMS) & MNREGA)	6.86
2.	4.2(ख)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में E-Gram Swaraj में दर्ज वार्षिक व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक व्यय में अंतर पाया जाना (Except SBM (PFMS) & MNREGA)	6.99
3.	4.2(ग)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में E-Gram Swaraj में दर्शाये गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष में अंतर पाया जाना (Except SBM (PFMS) & MNREGA)	0.16
4.	4.3	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.03
5.	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.18
6.	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.34
7.	6.2	गृहकर/संपत्ति कर की वसूली से प्राप्त का दुर्विनियोजन/गबन	0.45
8.	7.1	खनन सामग्री आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	7.19
9.	7.2	पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	0.20

10.	7.3	सेवाओं एवं सामग्री हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	0.20
11.	7.4	सभा निधि से जलपान हेतु व्यय से संबंधित बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण संदिग्ध भुगतान	0.03
12.	7.5	फर्नीचर (ALMIRAH) क्रय हेतु सभा निधि से अनियमित व्यय	0.07
13.	7.6	14वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों पर व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	10.00
14.	7.7	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत सामग्री का अनियमित क्रय करना	12.43
15.	7.8	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	12.43
16.	7.9	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री हेतु निविदा अनुसार न्यूनतम अनुमोदित दर से अधिक दर पर आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करना	1.06
17.	8.1	मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों पर MIS अनुसार व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	8.83
18.	9.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को राजस्व हानि	0.11

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोठीबंडा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.10.2024 से 29.10.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	02/2023	04/2022
2023-24	10/2023	11/2023

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 19/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 29/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 29/2024 दिनांक 23.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	183004.80	72391.00	255395.80	220652.27	34743.53
2023-24	34743.53	155993.00	190736.53	40212.31	150524.22

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3736200.28	3649482.14	7385682.42	3575682.97	3809999.45
2023-24	3809999.45	1756328.00	5566327.45	2047995.29	3518332.16

कुल योग (1+2) = 150524.22 + 3518332.16 = **3668856.38**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹36,68,856.38** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹36,65,365.58 (परिशिष्ट - "ग") से** सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	दिनांक 31.03.24 को बैंक अंत शेष
1.	सभा निधि (Own Source),	PNB DHAROON	2253000100508420	₹ 1,50,524.22
2.	5वां राज्य वित्त (5th SFC)/3RD SFC	KCCB JAWALI	20024009133	₹ 3,04,640.00
3.	ज़िला परिषद (ZP)	PNB DHAROON	2253000100526567	₹ 17,307.79
4.	पंचायत समिति (PS)	PNB DHAROON	2253000100526655	₹ 29,343.06
5.	सांसद निधि (MP LADS)	PNB DHAROON	2253000100526558	₹ 0.00
6.	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	PNB DHAROON	2253000100526628	₹ 2,65,880.38
7.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	PNB DHAROON	2253000100526619	₹ 2,51,342.13

8.	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)	PNB DHAROON	2253000100533974	₹ 0.00
9.	राजीव आवास योजना (RAYEAAY)	PNB DHAROON	2253000100526585	₹ 0.00
10.	13वां /14वां वित्तायोग	PNB DHAROON	2253000100526646	₹ 0.00
11.	15वां वित्तायोग	PNB DHAROON	2253000100551590	₹ 26,46,328.00
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			₹ 0.00
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों व हस्तगत शेष का कुल योग :			₹36,65,365.58
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹36,68,856.38**
	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष अंतर का अन्तशेष:-			**₹36,65,365.58**
				₹3,490.80

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियमानुसार ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव न करना :-

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव करने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 की समस्त online रोकड़ बहियाँ प्रस्तुत की गई, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केवल 15 वां वित्त आयोग, SBM व मनरेगा की online रोकड़ बही प्रस्तुत की गई और सभा निधि एवं अन्य अनुदान (5 वां राज्य वित्त आयोग, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, सांसद निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राजीव आवास योजना, 13 वां वित्त आयोग व

14 वां वित्त आयोग) की हस्तलिखित रोकड़ बही प्रस्तुत की गई जोकि अनियमित एवं उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/कोठीबंडा दिनांक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 11/2024-25 दिनांक 23.10.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लैपटॉप में तकनीकी समस्या के कारण PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में रोकड़ बहियों का नियमित अद्यतन नहीं हो पा रहा था जिसके चलते ग्राम पंचायत कि विकासात्मक गतिविधियों में अवरोधन न आए इसी कारण सभा निधि एवं अन्य अनुदान (5 वां राज्य वित्त आयोग, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, सांसद निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राजीव आवास योजना, 13 वां वित्त आयोग व 14 वां वित्त आयोग) के आय – व्यय का लेखांकन हस्तलिखित रोकड़ बहियों में किया गया। रोकड़ बहियों के अनुरक्षण एवं लेखांकन संबंधी नियमों की अवहेलना को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को बताया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा एवं नियमानुसार PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमित रूप से रोकड़ बहियों का नियमानुसार अद्यतन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यों एवं आंकड़ों से रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अनियमितता बारे उच्च अधिकारियों द्वारा जांच एवं सत्यापना सहित तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 नियमानुसार ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर लेखों का नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में अत्यधिक अंतर का पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है। निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे

दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online) दोनों माध्यम से किया गया था तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये गये थे वह बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 की हस्तलिखित तथा E-Gram Swaraj रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति, वार्षिक व्यय और बैंक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में E-Gram Swaraj में दर्ज वार्षिक प्राप्ति व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति में राशि ₹6.86 लाख का अंतर पाया जाना (Except SBM(PFMS) & MNREGA) :-

	प्राप्ति		
वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि
2022-23	₹16,25,449.00	₹23,11,390.00	₹6,85,941.00

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 में E-Gram Swaraj में दर्ज वार्षिक व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक व्यय में राशि ₹6.99 लाख अंतर पाया जाना (Except SBM(PFMS) & MNREGA):-

	भुगतान		
वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि
2022-23	₹16,87,043.10	₹23,85,852.10	₹6,98,809.00

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 में E-Gram Swaraj में दर्शाये गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष में राशि ₹0.16 लाख अंतर पाया जाना (Except SBM (PFMS) & MNREGA):-

वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष	बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष	अंतर
2022-23	38,57,273.98	38,41,252.18	**₹ 16,021.80**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/कोठीबंडा दिनांक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 12/2024-25 दिनांक 23.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि E gram swaraj में तकनीकी कारणों कि वजह से वाउचर नहीं डल रहे थे जिस कारण आय (receipt) राशि ₹6,85,941.00 के वॉउचर और व्यय राशि ₹6,98,809.00 के वॉउचर का इंदराज E-Gram Swaraj में नहीं हो सका परंतु इनका इन्द्राज हस्तलिखित रोकड़ बही में कर दिया गया है। जिस कारण यह अंतर दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त ई ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंत शेष में जो अंतर ₹ 16,021.80 दिखाई दे रहा है उसका मिलान करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यों एवं आंकड़ों से समर्थित न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर जांच की जाये एवं वार्षिक आय-व्यय की अंतर राशि से संबंधित वाउचरों का लेखांकन ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर न करने के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.03 लाख का अन्तर पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। फलस्वरूप अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹3,490.80** की राशि का अन्तर बैंक में कम शेष के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/कोठीबंडा दिनांक 25.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 13/2024-25 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि RAYEAAY ऑनलाइन रोकड़ बही ₹6.00 शेष है व 13TH FC ऑनलाइन रोकड़ बही में ₹3484.80 शेष है, लेकिन वास्तव में पंचायत रिकॉर्ड अनुसार बैंक खाता में शेष राशि शून्य है। E-Gram Swaraj ऑनलाइन में यह दोनों SCHEME बंद हो चुकी हैं जिस कारण वर्तमान में इनमें कोई लेन-देन नहीं हो रहा है और न ही यह पंचायत login से इन्हें हटाया जा सकता है अतः भविष्य में अपने उच्च अधिकारियों से इस अंतर को समाप्त करने के लिए पत्राचार किया जाएगा व रोकड़ बही से मिलान कर की गई कार्यवाही से अंकेक्षण के अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. अनुदान

5.1 अनुदान राशि ₹35.18 लाख का अवरोधन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 29/2024 दिनांक 23.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 35,18,332.16** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/कोठीबंडा दिनांक 25.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 14/2024-25 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि

पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान निर्धारित उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए थे अथवा नहीं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/कोठीबंडा दिनांक 25.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 14/2024-25 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. पंचायत राजस्व

6.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹2.34 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कोठीबंडा दिनांक 26.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 15/2024-25 दिनांक 26.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹2,34,120.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.2 गृहकर/संपत्ति कर की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.45 लाख का दुर्विनियोजन/गबन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त और खर्च किया गया सारा धन, ग्राम पंचायत निधि में जमा और प्रत्याहृत किया जाएगा तथा वित्त नियम 7(1) के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव, साधारण नियमों के प्ररूप-14 में रोकड़ बही बनाएगा। रोकड़ बही में प्रविष्टियां संव्यवहार की तारीख पर आय और व्यय की प्रत्येक मद के साथ की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01/04/22 से 31/03/24 में प्रपत्र-3 की रसीद बुकों का प्रयोग करके राशि **₹ 44,700.00** गृहकर/संपत्ति कर एकत्रित करके रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया और न ही उक्त राशि को बैंक में जमा करवाया गया था जोकि अति गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न है। प्रथम दृष्ट्या इस राशि का दुर्विनियोजन/गबन किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/कोठीबंडा दिनांक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18/2024-25 दिनांक 28.10.2024 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा चर्चा एवं तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर इसकी गहनता से जाँच पड़ताल उपरांत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं अपेक्षित राशि की वसूली कर सभा निधि में जमा करवा दी जाएगी व

आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार तर्कसंगत नहीं है।

अत: गृहकर/संपत्ति कर की एकत्रित राशि **₹ 44,700.00** को रोकड़ बही में दर्ज न करना और न ही उक्त राशि को बैंक में जमा करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर जांच की जाये व हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग पत्र क्रमांक पीसीएच-एचए (5) सी (15)313/89-50234-322 दिनांक 26.03.2010 द्वारा पंचायत की अग्रिम, नकद व अवैध राशियों की वसूली बारे जारी दिशा निर्देशों अनुसार उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रिम पैरा के रूप में भी प्रेषित किया गया है।

7. व्यय

7.1 खनन सामग्री आपूर्ति बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹7.19 लाख के अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/कोठीबंडा दिनांक 28.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 20/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट - " च "** पर संलग्न विवरणानुसार

नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप **₹7,19,213.00** का अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹ 7,19,213.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के बिलों के साथ नियमानुसार ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

7.2 पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.20 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान : -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Boulders) की स्थल पर सामग्री आपूर्ति हेतु विशिष्टियों के रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 व 11/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/कोठीबंडा दिनांक 28.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 21/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

के अनुसार आपूर्तिकर्ता को अंकेक्षण अवधि के दौरान पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹1,62,596.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप राशि **₹20,324.50** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण सामग्री भुगतानों सम्बन्धी अभिलेख की नियमानुसार सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापना उपरान्त ही भुगतान करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाने हेतु अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 सेवाओं एवं सामग्री हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.20 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी

अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 व 11/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी । अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/कोठीबंडा दिनांक 28.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 22/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹10,00,000.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹20,000.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7.4 सभा निधि से जलपान हेतु राशि ₹0.03 लाख के व्यय से संबंधित बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण संदिग्ध भुगतान : -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 47 के अनुसार किसी भी उद्देश्य के लिये किया गया प्रत्येक भुगतान पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण सहित वाउचर द्वारा समर्थित होगा तथा भुगतान हेतु सभी दावे बिलों पर प्रस्तुत किये जायेगें जहाँ दावेदार ऐसा करने में असफल रहता है, वहां ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा उचित प्रारूप में बिल तैयार किया जायेगा तथा दावेदार के बिल के साथ उप-वाउचर के रूप में संलग्न किया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 के समर्थन में प्रस्तुत रसीद के अवलोकन पर पाया गया कि सभा निधि से निम्न विवरणानुसार व्यय से संबंधित उचित बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया परिणामस्वरूप किए गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

क्र०सं०	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**	**वॉउचर संख्या/ दिनांक**	**विवरण**	**भुगतान की गई राशि**	**टिप्पणी**
1.	57	01/ 02.04.2022	जलपान	**₹3480.00**	बिल प्रस्तुत नहीं किया गया

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कोठीबंडा दिनांक 28.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 23/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त जलपान हेतु उक्त भुगतान आपूर्तिकर्ता से रसीद लेकर किया गया है एवं भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा तथा समस्त भुगतान बिल प्राप्ति उपरांत ही किए जाएंगे। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है। यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। पंचायत द्वारा प्रस्तुत रसीद से केवल यह पुष्टि होती है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा राशि प्राप्त की गई परंतु जलपान हेतु किस प्रकार से व्यय किया गया है यह पुष्टि उचित बिल के अभाव में संभव नहीं हो पाई है एवं उक्त राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः जलपान से संबंधित उचित बिल के अभाव में किए गये भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित भुगतान की गई राशि को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को जलपान हेतु किए गये व्यय के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.5 फर्नीचर (ALMIRAH) क्रय हेतु सभा निधि से राशि ₹0.07 लाख के अनियमित व्यय बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम **2017**, परिशिष्ट **"क"** के संशोधन अनुसार वर्णित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार हैं और फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन बदला जाएगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि सभा निधि से निम्न विवरणानुसार फर्नीचर (ALMIRAH) का क्रय उपरोक्त नियमों की अवहेलना उपरांत किया गया जोकि अनियमित होने के साथ-साथ आपत्तिजनक भी है। स्थाई स्टॉक रजिस्टर असंधारित होने के कारण फर्नीचर (ALMIRAH) की पूर्व उपलब्धता और वर्तमान उपलब्धता की पुष्टि भी संभव न हो सकी। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत बिल संख्या 417 दिनांक 03.04.2022 का है जबकि वाउचर संख्या 2 दिनांक 01.04.2022 का है, जिस बारे भी वस्तुस्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	**आपूर्तिकर्ता**	**वा०सं०/ दिनांक**	**बिल सं०/ दिनांक**	**मद का नाम**	**दर**	**मात्रा**	**विशिष्टता विवरण**	**राशि GST सहित**
1	SHARMA STEEL FURNITURE HOUSE	2/1.4.2022	417/3.4.2022	ALMIRAH	₹7000.00	1	NO.	**₹7000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कोठीबंडा दिनांक 28.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 24/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा तथा समस्त फर्नीचर क्रय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम **2017**, **परिशिष्ट "क"** के संशोधन अनुसार वर्णित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन ही किया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है। यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की स्पष्ट अवहेलना के कारण किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः फर्नीचर (ALMIRAH) क्रय का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार समर्थित अभिलेख एवं स्थायी स्टॉक रजिस्टर सहित किए गये भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को फर्नीचर क्रय हेतु किए गये व्यय के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.6 14वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों पर कुल व्यय राशि ₹10.00 लाख से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 04/2022 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **14**वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के

प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में निम्न तालिका अनुसार निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र० सं०	कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ सं०	प्रस्ताव सं / दिनांक	शेल्फ क्र०/ दिनांक	विकास कार्य का नाम	कुल व्यय राशि
1.	32	06/ 15.11.2021	01 /2021-22	पंचवटी पार्क **GHS** मस्तगढ़	3,00,000.00
2.	32	06/ 15.11.2021	02 /2021-22	पंचवटी पार्क **GHS** अमनी	3,00,000.00
3.	32	06/ 15.11.2021	03 /2021-22	अपबर्धन पंचायत घर कोठीबंडा	2,00,000.00
4.	32	06/ 15.11.2021	04/2021-22	पेयजल व्यवस्था ग्राम पंचायत कोठीबंडा	2,00,000.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15/2024/कोठीबंडा दिनांक 28.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 25/2024-25 दिनांक 29.10.2024 के अन्तर्गत तथ्यों की पुष्टि उपरांत बताया गया कि **14**वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों विकास कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः **14**वें वित्त आयोग के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों के वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये विभागीय स्तर पर मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित/वांछित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.7 ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹12.43 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय करने बारे:-

पंचायती राज विभाग, हि०प्र० की अधिसूचना पृष्ठांकन संख्या ***RDD-XEN/2018-e-Tendring-4152-648*** दिनांक ***17*** जुलाई, ***2018*** के अनुसार पंचायती राज विभाग सामग्री, सेवाओं तथा 5 लाख एवं इससे अधिक राशि के अनुमानित मूल्यों के कार्यों के निष्पादन हेतु ई खरीद टेंडर निविदा प्रणाली को अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 एवं 11/2023 के बिल /वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत टेन्डर कॉल करने की प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना ही **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹12,43,474.00** की सामग्री खरीदी गई जोकि अनियमित एवं अनुचित प्रक्रिया है और यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। बिल /वाउचरों के अवलोकन पर पाई गई आपत्तियाँ निम्नलिखित है :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50,000.00 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा ई-निविदा खरीद टेंडर प्रणाली अपनाने के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत न करना।

(ग) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप-समिति का गठन नहीं किया गया था।

(घ) हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (**Controller of store)** की दर संविदा (**Rate Contract)** अथवा **Gem Portal** पर अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर किया जाना वांछित था, तथा यदि वांछित सामग्री हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के **Rate Contract** अथवा **Gem Portal** पर उपलब्ध नहीं होती तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से नियमानुसार ई-खरीद टेंडर प्रणाली अमल में ला करके किया जा सकता था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। पंचायत द्वारा व्यापक प्रचार के कारण होने वाली बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने हेतु नियमानुसार

अपेक्षित स्पष्ट पारदर्शी कार्यवाही अमल में लाने के फलस्वरूप होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा।

(ड०) उक्त क्रय की गई सामग्री को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 26/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री की खरीद खुले बाजार से निविदाओं के आधार पर न्यूनतम दर अनुमोदित करने उपरांत की गई है तथा भविष्य में वर्णित नियमों की पूर्ण अनुपालना सहित ही सामग्री का क्रय किया जाएगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण हेतु समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त मामला पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

7.8 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹12.43 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 04/2022 एवं 11/2023 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹12,43,474.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्टॉक रजिस्टर को संधारित करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.9 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री हेतु निविदा अनुसार न्यूनतम अनुमोदित दर से अधिक दर पर आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.06 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता (**M/S Himachal Traders**) को पार्क एवं व्यायामशाला हेतु उपकरणों और पानी का टैंक के क्रय हेतु निविदा में अंकित दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण राशि **₹1,05,700.00** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अति गंभीर वित्तीय अकुशल प्रबंधन को दर्शाता है जिसका विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में संलग्न है। यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। न्यूनतम निविदा दर अनुसार भुगतान न करने के कारण ग्राम

पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करते हुये मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करने उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

8.1 मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों पर MIS **अनुसार कुल व्यय राशि ₹8.83 लाख से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 04/2022 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु चयनित माह में **MIS** अनुसार राशि **₹8,83,294.08** का भुगतान **परिशिष्ट " ट"** पर संलग्न विवरणानुसार किया गया जिससे से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में संबंधित स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 17/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 27/2024-25 दिनांक 29.10.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप

पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. विविध अनियमितताएं :-

9.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.11 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹11,000.00** वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/कोठीबंडा दिनांक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 19/2024-25 दिनांक 28.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को तथ्यों की पुष्टि उपरांत अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त राशि को पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त करके सभा निधि खाता में जमा करवा कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित था तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था, जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर स्वतः प्रश्न चिन्ह है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता/खाता बही	29 (1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार	29 (4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और	89	30

	निपटान को दर्शाता रजिस्टर		
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	कर रजिस्टर	34	16
5.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कोठीबंडा दिनांक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 16/2024-25 दिनांक 26.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित 06 रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/कोठीबंडा दिनांक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 17/2024-25 दिनांक 26.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। परिणाम स्वरूप सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18/2024/कोठीबंडा दिनांक 29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 28/2024-25 दिनांक 29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष** :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रखरखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है

20 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

582–586 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)447/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कोठीबंडा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

(परिशिष्ट "क" पैरा संख्या "4 (क) एवं 6 " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP KOTHIBANDA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	183004.80	72391.00	255395.80	220652.27	34743.53
2023-24	34743.53	155152.00	189895.53	39371.31	150524.22

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3736200.28	3649482.14	7385682.42	3575682.97	3809999.45
2023-24	3809999.45	1756328.00	5566327.45	2047995.29	3518332.16

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सुरियां
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या "4 (क) एवं 6 " के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KOTHIBANDA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC/3RD SFC	2022-23	230724.00	377089.00	607813.00	389620.00	218193.00
		2023-24	218193.00	655805.00	873998.00	569358.00	304640.00
2	ZP	2022-23	181612.40	3557.00	185169.40	155974.61	29194.79
		2023-24	29194.79	532.00	29726.79	12419.00	17307.79
3	PS	2022-23	13335.67	75000.00	88335.67	0.00	88335.67
		2023-24	88335.67	0.00	88335.67	58992.61	29343.06
4	MPLAD	2022-23	8830.00	234.00	9064.00	9000.00	64.00
		2023-24	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00
5	VKVNY	2022-23	401195.60	222461.00	623656.60	350133.22	273523.38
		2023-24	273523.38	143166.00	416689.38	150809.00	265880.38
6	SDP	2022-23	217356.13	5980.00	223336.13	10150.00	213186.13
		2023-24	213186.13	141998.00	355184.13	103842.00	251342.13
7	MMAGY	2022-23	24123.28	637.00	24760.28	24618.00	142.28
		2023-24	142.28	1.00	143.28	143.28	0.00
8	RAY/AAY	2022-23	6	0.00	6.00	0.00	6.00
		2023-24	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
9	13TH FC	2022-23	3484.8	0.00	3484.80	0.00	3484.80
		2023-24	3484.80	0.00	3484.80	0.00	3484.80
10	14TH FC	2022-23	1032376.40	3592.00	1035968.40	1035500.00	468.40
		2023-24	468.40	8.00	476.40	476.40	0.00
11	15TH FC	2022-23	1623156.00	1550449.00	3173605.00	190204.00	2983401.00
		2023-24	2983401.00	319471.00	3302872.00	656544.00	2646328.00
12	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	128677.00	128677.00	128677.00	0.00
13	MGNREGA	2022-23	0.00	1410483.14	1410483.14	1410483.14	0.00
		2023-24	0.00	366670.00	366670.00	366670.00	0.00

Total Checked

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीबन्डा
वि ख. नगरोटा सुरियां
जिला कांगड़ा (हि प्र.)

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठीबंडा , वि०ख० - नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176205

ग्राम पंचायत कोठीबंडा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2023	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source),	PNB DHAROON	2253000100508420	₹ 34,743.53	₹ 1,50,524.22	₹ 1,50,524.22
2	5वां राज्य वित्त (5th SFC)/3RD SFC	KCCB JAWALI	20024009133	₹ 2,18,193.00	₹ 3,04,640.00	₹ 3,04,640.00
3	ज़िला परिषद (ZP)	PNB DHAROON	2253000100526567	₹ 29,194.79	₹ 17,307.79	₹ 17,307.79
4	पंचायत समिति (PS)	PNB DHAROON	2253000100526655	₹ 88,335.67	₹ 29,343.06	₹ 29,343.06
5	सांसद निधि (MPLADS)	PNB DHAROON	2253000100526558	₹ 64.00	₹ 0.00	₹ 0.00
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	PNB DHAROON	2253000100526628	₹ 2,73,523.38	₹ 2,65,880.38	₹ 2,65,880.38
7	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	PNB DHAROON	2253000100526619	₹ 2,13,186.13	₹ 2,51,342.13	₹ 2,51,342.13
8	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)	PNB DHAROON	2253000100533974	₹ 142.28	₹ 0.00	₹ 0.00
9	राजीव आवास योजना (RAYEAAY)	PNB DHAROON	2253000100526585	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 6.00
10	13TH FC/14TH FC	PNB DHAROON	2253000100526646	₹ 468.40	₹ 0.00	₹ 3,484.80
11	15TH FC	PNB DHAROON	2253000100551590	₹ 29,83,401.00	₹ 26,46,328.00	₹ 26,46,328.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
		कुल योग		₹ 38,41,252.18	₹ 36,65,365.58	₹ 36,68,856.38

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	₹ 36,68,856.38
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	₹ 36,65,365.58
अंतर :-	₹ 3,490.80

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सुरियां
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठीबंडा , वि०ख०- नगरोटा सुरियाँ , ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176205

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 824 परिवारों का ₹100/- तथा 2023-24 में 825 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 1,13,920.00	824	₹ 100.00	₹ 82,400.00	₹ 1,96,320.00	₹ 43,800.00	₹ 1,52,520.00
2023-24	₹ 1,52,520.00	825	₹ 100.00	₹ 82,500.00	₹ 2,35,020.00	₹ 900.00	₹ 2,34,120.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 2,34,120 /-** है।						

Totally Checked

पंचायत सचिव RAJKUMAR
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सुरिया
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " ड· " पैरा संख्या " 7.2 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठीबंडा, वि०ख०- नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176205

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में गृहकर की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.45 लाख का विवरण जिसे बैंक में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है

वित्तीय वर्ष 2022-23						
क्र सं	रसीद बही	रसीद संख्या	दिनांक	कुल	प्राप्त राशि	टिप्पणी
1	400430 से 400500	400431 से 400432	05.12.2022	2	₹ 200.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		400433 से 400480	7.12.2022	48	₹ 4,800.00	
		400481 से 400500	8.12.2022	20	₹ 2,000.00	
2	400501 से 400600	400501 से 400539	29.11.2022	39	₹ 3,900.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		400540 से 400548	30.11.2022	9	₹ 900.00	
		400549 से 400563	13.12.2022	15	₹ 1,500.00	
		400564 से 400566	14.12.2022	3	₹ 300.00	
		400567 से 400581	15.12.2022	15	₹ 1,500.00	
		400582 से 400591	16.12.2022	10	₹ 1,000.00	
		400592	17.12.2022	1	₹ 100.00	
		400593 से 400594	19.12.2022	2	₹ 200.00	
		400595 से 400600	20.12.2022	6	₹ 600.00	
3	400601 से 400700	400601	23.11.2022	1	₹ 200.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		400602 से 400628	24.11.2022	27	₹ 2,700.00	
		400629 से 400651	25.11.2022	23	₹ 2,300.00	
		400652 से 400677	26.11.2022	26	₹ 2,600.00	
		400678 से 400700	28.11.2022	23	₹ 2,300.00	
4	400701 से 400800	400701	22.12.2022	1	₹ 100.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		400702	23.12.2022	1	₹ 100.00	
		400703	26.12.2022	1	₹ 100.00	
		400704 से 400711	22.12.2022	8	₹ 800.00	
		400712	28.12.2022	1	₹ 100.00	
		400713	31.12.2022	1	₹ 100.00	
		400714 से 400715	16.01.2023	2	₹ 200.00	
		400716 से 400721	19.01.2023	6	₹ 600.00	
		400722 से 400724	20.12.2023	3	₹ 300.00	
		400725 से 400735	21 .01.2023	11	₹ 1,100.00	
		400736	22.01.2023	1	₹ 100.00	
		400737 से 400741	23.01.2023	5	₹ 500.00	
		400742 से 400746	24.01.2023	5	₹ 500.00	
		400747 से 400750	27.01.2023	4	₹ 400.00	
		400751 से 400753	03.02.2023	3	₹ 300.00	
		400754 से 400760	15.02.2023	7	₹ 700.00	
		400761 से 400762	02.03.2023	2	₹ 200.00	
		400763	05.03.2023	1	₹ 100.00	
		400764 से 400766	22.03.2023	3	₹ 300.00	
		400767	25.03.2023	1	₹ 100.00	
5	400901 से 401000	400901	24.01.2022	1	₹ 100.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		400902	25.11.2022	1	₹ 100.00	
		400903 से 400923	28.11.2022	21	₹ 2,100.00	
		400924 से 400970	29.11.2022	47	₹ 4,700.00	
		400971 से 401000	30.11.2022	30	₹ 3,000.00	
				जोड़ (i)	**₹ 43,800.00**	
वित्तीय वर्ष 2023-24						
1	400701 से 400800	400768 से 400773	03.04.2023	6	₹ 600.00	बैंक व रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं पाई गई
		400774 से 400775	06.04.2023	2	₹ 200.00	
		400776	11.04.2023	1	₹ 100.00	
				जोड़ (ii)	**₹ 900.00**	
				कुल जोड़ (i +ii)	**₹ 44,700.00**	

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि.)

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत कोठीबंडा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा)

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....
Manpreet Kaur

36

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 3.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशि ₹ 7.19 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	deno	भुगतान राशी	फार्म X / फार्म Y
				वित्त वर्ष 2022-23					
				अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)					
1	JOGINDER SINGH	14/21.6.2022	92/21.6.2022	रेत	1000	6.58	CUM	₹ 6,580.00	उपलब्ध नहीं है
2				बजरी	1000	3.29	CUM	₹ 3,290.00	
				अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)					
3	JOGINDER SINGH	1/2022-23/8.4.2022	93/8.4.2022	रेत क्रशर	1500	12.44	CUM	₹ 18,660.00	उपलब्ध नहीं है
4				बजरी क्रशर	1200	31.12	CUM	₹ 37,344.00	
5	JOGINDER SINGH	5/2022-23/23.4.22	94/23.4.2022	रेत स्थानीय	1000	2.94	CUM	₹ 2,940.00	उपलब्ध नहीं है
6				बजरी स्थानीय	1000	5.88	CUM	₹ 5,880.00	
9	JOGINDER SINGH	9/2022-23/11.5.2022	97/11.5.2022	रेत स्थानीय	1000	8.85	CUM	₹ 8,850.00	उपलब्ध नहीं है
10				बजरी स्थानीय	1000	4.43	CUM	₹ 4,330.00	
11				पत्थर	1000	2.72	CUM	₹ 2,720.00	
12	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT. & GENERAL ORDER SUPPLIER	12/2022-23/5.12.2022	115/5.12.2022	रेत	1650	6.94	CUM	₹ 11,451.00	उपलब्ध नहीं है
13				बजरी	1550	13.14	CUM	₹ 20,367.00	
14				पत्थर	1450	6	CUM	₹ 8,700.00	
15	JOGINDER SINGH	14/18.04.2022	99/18.04.2022	रेत	1200	3.61	CUM	₹ 4,332.00	उपलब्ध नहीं है
16				बजरी	1000	2.88	CUM	₹ 2,880.00	
17				पत्थर	900	6.44	CUM	₹ 5,796.00	
				अनुदान शीर्ष : ZP					
18	JOGINDER SINGH	2/2022-23/2.5.2022	81 /20 .4 .2022	रेत	1500	3.55	CUM	₹ 5,325.00	उपलब्ध नहीं है
19				बजरी	1200	8.9	CUM	₹ 10,680.00	
20	JOGINDER SINGH	3/2022-23/2.5.2022	82 /28 .4 .2022	रेत	1200	2.77	CUM	₹ 3,312.00	उपलब्ध नहीं है
21				बजरी	1000	6.44	CUM	₹ 6,440.00	
22	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT. & GENERAL ORDER	4/2022-23/20.9.2022	112/28.9.2022	रेत	1650	1.5	CUM	₹ 2,475.00	उपलब्ध नहीं है
23				बजरी	1550	5	CUM	₹ 7,750.00	
24	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT. & GENERAL ORDER SUPPLIER	5/2022-23/20.9.2022	114/28.09.2022	रेत	1650	6.5	CUM	₹ 10,825.00	उपलब्ध नहीं है
25				बजरी	1550	12	CUM	₹ 17,050.00	
26				पत्थर	1450	2	CUM	₹ 2,950.00	
				अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)					
27	joginder singh	nil/14.3.2023	101/30.4.22	रेत	₹ 1,000.00	2.66	cum	₹ 2,660.00	उपलब्ध नहीं है
28				बजरी	₹ 1,200.00	4.44	cum	₹ 5,328.00	
29	joginder singh	Nil/25.5.2022	058/31/3/2022	रेत	₹ 1,000.00	15.04	cum	₹ 15,040.00	उपलब्ध नहीं है
30				बजरी	₹ 1,000.00	29	cum	₹ 29,000.00	
31				पत्थर	₹ 1,000.00	2.77	cum	₹ 2,770.00	
32	joginder singh	Nil/25.5.2022	060/31.3.2022	रेत	₹ 1,000.00	7	cum	₹ 7,000.00	उपलब्ध नहीं है
33				बजरी	₹ 1,000.00	10	cum	₹ 10,000.00	
34	joginder singh	Nil/25.5.2022	065/31.3.202022	पत्थर	₹ 1,000.00	40	cum	₹ 40,000.00	उपलब्ध नहीं है
35	joginder singh	Nil/25.5.2022	052/31.3.2022	रेत	₹ 1,000.00	20	cum	₹ 20,000.00	उपलब्ध नहीं है
36				बजरी	₹ 1,000.00	31	cum	₹ 31,000.00	
37				पत्थर	₹ 1,000.00	20	cum	₹ 20,000.00	
38	joginder singh	Nil/25.5.2022	066/31.3.2022	रेत	₹ 1,000.00	26.67	cum	₹ 26,670.00	उपलब्ध नहीं है
39				बजरी	₹ 1,000.00	48	cum	₹ 48,000.00	
40				पत्थर	₹ 1,000.00	21.66	cum	₹ 21,660.00	
41	joginder singh	Nil/25.5.2022	067/31.3.2022	रेत	₹ 1,000.00	24	cum	₹ 24,000.00	उपलब्ध नहीं है
42				बजरी	₹ 1,000.00	25	cum	₹ 25,000.00	
43				पत्थर	₹ 1,000.00	10	cum	₹ 10,000.00	
44	joginder singh	Nil/25.5.2022	063/31.3.2022	रेत	₹ 1,000.00	10	cum	₹ 10,000.00	उपलब्ध नहीं है
45				बजरी	₹ 1,000.00	20	cum	₹ 20,000.00	
46				पत्थर	₹ 1,000.00	23	cum	₹ 23,000.00	
47	joginder singh	Nil/25.5.2022	062/31.3.2022	रेत	₹ 1,000.00	9.14	cum	₹ 9,140.00	उपलब्ध नहीं है
48				बजरी	₹ 1,000.00	17.3	cum	₹ 17,300.00	

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	deno	भुगतान राशी	[illegible] Y
49				पत्थर	₹ 1,000.00	15	cum	₹ 15,000.00	
50				रेत	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
51	joginder singh	Nil/25.5.2022	054/31.3.2022	बजरी	₹ 1,000.00	5	cum	₹ 5,000.00	उपलब्ध नहीं है
52				पत्थर	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
53				रेत	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
54	joginder singh	Nil/25.5.2022	055/31.3.2022	बजरी	₹ 1,000.00	5	cum	₹ 5,000.00	उपलब्ध नहीं है
55				पत्थर	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
56				रेत	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
57	joginder singh	Nil/25.5.2022	056/31.3.2022	बजरी	₹ 1,000.00	5	cum	₹ 5,000.00	उपलब्ध नहीं है
58				पत्थर	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
59				रेत	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
60	joginder singh	Nil/25.5.2022	057/31.3.2022	बजरी	₹ 1,000.00	5	cum	₹ 5,000.00	उपलब्ध नहीं है
61				पत्थर	₹ 1,000.00	2.5	cum	₹ 2,500.00	
	वित्त वर्ष 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : PS								
62	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT.	5THSFC/2023-24/P/4/16.05.20	106 /18.3.2023	रेत	1500	4.42	cum	₹ 6,630.00	उपलब्ध नहीं है
63				बजरी	1200	11.12	cum	₹ 13,338.00	
	अनुदान शीर्ष : VKVNY								
64	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT.	VKVNY/2023-24/P/1 /	107 /15-4-2022	रेत	1500	1.72	CUM	₹ 2,580.00	उपलब्ध नहीं है
65				बजरी	1200	4.29	CUM	₹ 5,140.00	
66	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT.	VKVNY/2023-24/P/1 /	105 /18-01-2023	रेत	1500	1.78	CUM	₹ 2,670.00	उपलब्ध नहीं है
67				बजरी	1200	4.47	CUM	₹ 5,360.00	
							कुल योग	₹ 7,19,213.00	

Anju Kumari
CRC Kuthiwanda

प्रधान ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर........
दिनांक ....
Manpreet Kaur

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सुरिया
ज़िला कांगड़ा (हि प्र.)

38

परिशिष्ट " 6 ", पैरा संख्या " 3.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना/अभिलखों के अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.20 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा (CUM)	मूल्य दर(CUM)	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (VOIDS)
	अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)								
1	JOGINDER SINGH	9/2022-23/11.5.2022	97/11.5.2022	पत्थर	2.72	1000	₹ 2,720.00	12.50%	₹ 340.00
2	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT CONT. & GENERAL ORDER SUPPLIER	12/2022-23/5.12.2022	115/5.12.2022	पत्थर	6	1450	₹ 8,700.00	12.50%	₹ 1,087.50
3	JOGINDER SINGH	14/18.04.2022	99/18.04.2022	पत्थर	6.44	900	₹ 5,796.00	12.50%	₹ 724.50
	अनुदान शीर्ष : ZP								
4	RAJESH KUMAR	5/2022-	114/28.09.2022	पत्थर	2	1450	₹ 2,950.00	12.50%	₹ 368.75
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)								
5	joginder singh	Nil/ 25.5.2022	058/31/3/2022	पत्थर	2.77	₹ 1,000.00	₹ 2,770.00	12.50%	₹ 346.25
6	joginder singh	Nil/25.5.2022	065/31.3.202022	पत्थर	40	₹ 1,000.00	₹ 40,000.00	12.50%	₹ 5,000.00
7	joginder singh	Nil/25.5.2022	052/31.3.2022	पत्थर	20	₹ 1,000.00	₹ 20,000.00	12.50%	₹ 2,500.00
8	joginder singh	Nil/25.5.2022	066/31.3.2022	पत्थर	21.66	₹ 1,000.00	₹ 21,660.00	12.50%	₹ 2,707.50
9	joginder singh	Nil/25.5.2022	067/31.3.2022	पत्थर	10	₹ 1,000.00	₹ 10,000.00	12.50%	₹ 1,250.00
10	joginder singh	Nil/25.5.2022	063/31.3.2022	पत्थर	23	₹ 1,000.00	₹ 23,000.00	12.50%	₹ 2,875.00
11	joginder singh	Nil/25.5.2022	062/31.3.2022	पत्थर	15	₹ 1,000.00	₹ 15,000.00	12.50%	₹ 1,875.00
12	joginder singh	Nil/25.5.2022	054/31.3.2022	पत्थर	2.5	₹ 1,000.00	₹ 2,500.00	12.50%	₹ 312.50
13	joginder singh	Nil/25.5.2022	055/31.3.2022	पत्थर	2.5	₹ 1,000.00	₹ 2,500.00	12.50%	₹ 312.50
14	joginder singh	Nil/25.5.2022	056/31.3.2022	पत्थर	2.5	₹ 1,000.00	₹ 2,500.00	12.50%	₹ 312.50
15	joginder singh	Nil/25.5.2022	057/31.3.2022	पत्थर	2.5	₹ 1,000.00	₹ 2,500.00	12.50%	₹ 312.50
						कुल योग	₹ 1,62,596.00		₹ 20,324.50

CIRS Kothi banda

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीबण्डा
वि ख. नगरोटा सुरिया
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत कोठीबण्डा विकास खण्ड नगरोटा सुरियां, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर..........

दिनांक ....

Manpreet Kaur

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करते समय जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.20 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	04/2022	M/s Himachal Traders, V.P.O. Dodhamb, Teh Shahpur, Distt Kangra GST No. **02DKFPK1435R2ZZ**	PARK EQUIPMENT, WATER TANK, PVC PANELLING, LED LIGHT, FAN CEILING, WIRE AND SWITCH BOX, LABOUR WITH CARRIAGE	₹ 10,00,000.00	2%	₹ 20,000.00
				Total (R/Off)	**₹ 10,00,000.00**	2%	**₹ 20,000.00**

Total Checked

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीवन्डी
वि ख. नगरोटा सुरियां
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत कोठीवन्डा विकास खण्ड नगरोटा सुरियां, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर........
दिनांक ....
Manpreet Kaur

(परिशिष्ट " इ " पैरा संख्या "8.7,8.9 के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठीबंडा, वि०ख०- नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176205

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत चयनित माह 04/2022 एवं 11/2023 में राशि ₹12.43 लाख की सामग्री/स्टॉक के अनियमित क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	भुगतान की गई राशि GST सहित
	अनुदान शीर्ष : 14 वां वित्त आयोग							
1	M/S HIMACHAL TRADERS	1/2022-23/ 05.04.2022	597/ 25.03.2022	TWO SEATER SWING	₹ 19,500.00	1	NO.	₹ 19,500.00
2				FOUR SEATER SEE SAW	₹ 17,100.00	1	NO.	₹ 17,100.00
3				SLIDER 12 FT	₹ 23,800.00	1	NO.	₹ 23,800.00
4				BRIDGE LADDER	₹ 15,500.00	1	NO.	₹ 15,500.00
5				MARRY GOROUND	₹ 38,500.00	1	NO.	₹ 38,500.00
6				CHEST PRESS DOUBLE SEATER	₹ 39,900.00	1	NO.	₹ 39,900.00
7				PARALLEL BAR	₹ 21,900.00	1	NO.	₹ 21,900.00
8				ARM WHEEL DRAW	₹ 25,500.00	1	NO.	₹ 25,500.00
9				AIR WALKER	₹ 23,500.00	1	NO.	₹ 23,500.00
10				SET UP BENCH DOUBLE	₹ 26,200.00	1	NO.	₹ 26,200.00
11				ROWING MACHINE	₹ 23,500.00	1	NO.	₹ 23,500.00
12				SURF BOARD	₹ 27,500.00	1	NO.	₹ 27,500.00
13	M/S HIMACHAL TRADERS	2/2022-23/ 05.04.2022	598/ 26.03.2022	TWO SEATER SWING	₹ 19,500.00	1	NO.	₹ 19,500.00
14				FOUR SEATER SEE SAW	₹ 17,100.00	1	NO.	₹ 17,100.00
15				SLIDER 12 FT	₹ 23,800.00	1	NO.	₹ 23,800.00
16				BRIDGE LADDER	₹ 15,500.00	1	NO.	₹ 15,500.00
17				MARRY GOROUND	₹ 38,500.00	1	NO.	₹ 38,500.00
18				CHEST PRESS DOUBLE SEATER	₹ 39,900.00	1	NO.	₹ 39,900.00
19				PARALLEL BAR	₹ 21,900.00	1	NO.	₹ 21,900.00
20				ARM WHEEL DRAW	₹ 25,500.00	1	NO.	₹ 25,500.00
21				AIR WALKER	₹ 23,500.00	1	NO.	₹ 23,500.00
22				ROWING MACHINE	₹ 23,500.00	1	NO.	₹ 23,500.00
23				SURF BOARD	₹ 27,500.00	1	NO.	₹ 27,500.00
24				CROSS TRAINER DOUBLE	₹ 26,500.00	1	NO.	₹ 26,500.00
25	M/S HIMACHAL TRADERS	3/2022-23/ 05.04.2022	600/ 28.03.2022	PVC FALSE CEILING	₹ 149.00	322	SQF	₹ 47,978.00
26				PVC WALL PENLLING	₹ 148.00	892	SQF	₹ 1,32,016.00
27				LED LIGHT 10 WATT	₹ 1,200.00	8	NO.	₹ 4,800.00
28				FAN CELLING	₹ 2,200.00	3	NO.	₹ 6,600.00
29				ELECTRICAL MATERIAL WIRE	₹ 6,000.00	1	NO.	₹ 6,000.00
30				SWITCH BOX & SWITCH	₹ 4,000.00	1		₹ 4,000.00
31	M/S HIMACHAL TRADERS	4/2022-23/ 05.04.2022	595/ 26.03.2022	WATER TANKI IRON SHEET SIZE 14 GAUGE 2000 WITH STAND SIZE 4*4 WITH FROM FRAMER PAINT WITH TAB	₹ 40,000.00	5	NO.	₹ 2,00,000.00
	अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग							
32	M/S SHIVA TRADERS	XVFC/2023-24/P/12/ 23.11.2023	394/ 04.11.2023	वाटर कूलर	₹ 31,500.00	1.00	NO.	₹ 31,500.00
33				वाटर कूलर स्ट्रक्चर विद पेंट	₹ 5,480.00	1.00	NO.	₹ 5,480.00
34	M/S SHIVA TRADERS	XVFC/2023-24/P/13/ 23.11.2023	389/ 04.11.2023	वाटर कूलर	₹ 31,500.00	1.00	NO.	₹ 31,500.00
35				वाटर कूलर स्ट्रक्चर विद पेंट	₹ 6,500.00	1.00	NO.	₹ 6,500.00
36				प्लास्टिक टंकी	₹ 2,000.00	1.00	NO.	₹ 2,000.00
37	M/S SHIVA TRADERS	XVFC/2023-24/P/14/ 23.11.2023	390/ 04.11.2023	वाटर कूलर	₹ 31,500.00	1.00	NO.	₹ 31,500.00
38				वाटर कूलर स्ट्रक्चर विद पेंट	₹ 6,500.00	1.00	NO.	₹ 6,500.00
39				प्लास्टिक टंकी	₹ 2,000.00	1.00	NO.	₹ 2,000.00
40	M/S SHIVA TRADERS	XVFC/2023-24/P/15/ 23.11.2023	391/ 04.11.2023	वाटर कूलर	₹ 31,500.00	1.00	NO.	₹ 31,500.00
41				वाटर कूलर स्ट्रक्चर विद पेंट	₹ 6,500.00	1.00	NO.	₹ 6,500.00
42				प्लास्टिक टंकी	₹ 2,000.00	1.00	NO.	₹ 2,000.00
43	M/S SHIVA TRADERS	XVFC/2023-24/P/16/ 23.11.2023	392/ 04.11.2023	वाटर कूलर	₹ 31,500.00	1.00	NO.	₹ 31,500.00
44				वाटर कूलर स्ट्रक्चर विद पेंट	₹ 6,500.00	1.00	NO.	₹ 6,500.00
45				प्लास्टिक टंकी	₹ 2,000.00	1.00	NO.	₹ 2,000.00
46	M/S SHIVA TRADERS	XVFC/2023-24/P/17/ 23.11.2023	393/ 04.11.2023	वाटर कूलर	₹ 31,500.00	1.00	NO.	₹ 31,500.00
47				वाटर कूलर स्ट्रक्चर विद पेंट	₹ 6,500.00	1.00	NO.	₹ 6,500.00
48				प्लास्टिक टंकी	₹ 2,000.00	1.00	NO.	₹ 2,000.00
						कुल जोड़		₹ 12,43,474.00

हस्ताक्षर........... Manpreet Kaur

दिनांक ....

पंचायत सचिव RAJ KUMAR.
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सुरिया
जिला कांगड़ा (हि प्र.)

52

परिशिष्ट " 17 ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री हेतु निविदा अनुसार न्यूनतम अनुमोदित दर से अधिक दर पर आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.06 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	भुगतान की गई दर	भुगतान की गई राशी	निविदा अनुसार न्यूनतम अनुमोदित दर	न्यूनतम अनुमोदित दर अनुसार भुगतान योग्य राशि	अतिरिक्त / अनियमित भुगतान की गई राशि
								1		2	1-2
1	M/S HIMACHAL TRADERS	1/2022-23/ 05.04.2022	597/ 25.03.2022	SLIDER 12 FT	1	NO.	₹ 23,800.00	₹ 23,800.00	₹ 19,500.00	₹ 19,500.00	₹ 4,300.00
2				BRIDGE LADDER	1	NO.	₹ 15,500.00	₹ 15,500.00	₹ 13,800.00	₹ 13,800.00	₹ 1,700.00
3				MARRY GO ROUND	1	NO.	₹ 38,500.00	₹ 38,500.00	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00	₹ 4,000.00
4	M/S HIMACHAL TRADERS	2/2022-23/ 05.04.2022	598/ 26.03.2022	SLIDER 12 FT	1	NO.	₹ 23,800.00	₹ 23,800.00	₹ 19,500.00	₹ 19,500.00	₹ 4,300.00
5				BRIDGE LADDER	1	NO.	₹ 15,500.00	₹ 15,500.00	₹ 13,800.00	₹ 13,800.00	₹ 1,700.00
6				MARRY GO ROUND	1	NO.	₹ 38,500.00	₹ 38,500.00	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00	₹ 4,000.00
7	M/S HIMACHAL TRADERS	3/2022-23/ 05.04.2022	600/ 28.03.2022	PVC FALSE CEILING	322	SQF	₹ 149.00	₹ 47,978.00	₹ 99.00	₹ 31,878.00	₹ 16,100.00
8				PVC WALL PENLLING	892	SQF	₹ 148.00	₹ 1,32,016.00	₹ 98.00	₹ 87,416.00	₹ 44,600.00
9	M/S HIMACHAL TRADERS	4/2022-23/ 05.04.2022	595/ 26.03.2022	WATER TANKI IRON SHEET SIZE 14 GAUGE 2000 WITH STAND SIZE 4*4 WITH FROM FRAMER PAINT WITH TAB	5	NO.	₹ 40,000.00	₹ 2,00,000.00	₹ 35,000.00	₹ 1,75,000.00	₹ 25,000.00
										कुल अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि	₹ 1,05,700.00

प्रधान ग्राम पंचायत कोठीबन्डा विकास खण्ड नगरोटा सुरियां, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

हस्ताक्षर Manpreet Kaur

दिनांक

Manpreet Kaur

पंचायत सचिव RAJ KUMAR
ग्राम पंचायत कोठीबन्डा
वि ख. नगरोटा सुरियां
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

41

(परिशिष्ट " ट " पैरा संख्या " १.१ " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत कोठीबंडा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत MIS अनुसार कुल व्यय राशि ₹8.83 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार व्यय की गयी राशि
1	निर्माण नालियां बलवंत सिंह लैंड विलेज बठ्ई	2021-2022	₹ 2,08,967.00	₹ 1,57,079.52
2	निर्माण एम्बुलेंस रोड सड़क से करनैल सिंह हाउस तक	2021-2022	₹ 3,04,290.00	₹ 2,42,514.04
3	निर्माण एम्बुलेंस रोड सड़क से रणजीत सिंह हाउस तक	2021-2022	₹ 1,95,128.00	₹ 1,41,516.00
4	निर्माण कच्चा एम्बुलेंस रोड नरेश कुमार हाउस से मोरना तक	2021-2022	₹ 2,01,737.00	₹ 1,53,647.00
5	निर्माण वाटर टैंक सतपाल सिंह सपुत्र रनिया राम विलेज स्वारका	2021-2022	₹ 83,578.00	₹ 76,062.52
6	निर्माण सुरक्षा दीवार रमेश चंद लैंड ग्राम पंचायत कोठीबंडा	2022-2023	₹ 49,831.00	₹ 42,896.00
7	निर्माण भूमि समतल सुरजीत सिंह लैंड ग्राम पंचायत कोठीबडा	2022-2023	₹ 89,190.00	₹ 69,579.00
		कुल जोड़	**₹ 11,32,721.00**	**₹ 8,83,294.08**

RAJ KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कोठीबन्डा
वि ख. नगरोटा सुरिया
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " ठ " पैरा संख्या " 10.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठीबंडा, वि०ख०- नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176205

ग्राम पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण हेतु नियमनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹ 0.11 लाख की वसूली न करने का विवरण

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	मनोज कुमार	15-04-2022	29-04-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	सुनील कुमार	21-04-2022	13-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3	रवि कुमार	06-02-2022	13-05-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
4	साहिल भारद्वाज	21-04-2022	31-05-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
5	अनिकेत	18-04-2022	08-06-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
6	दीपक	20-04-2022	08-06-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
7	हितेश परिवाह	10-06-2022	13-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
8	बंटी कुमार	12-06-2022	13-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
9	सुरेश कुमार	05-08-2022	10-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
10	विकास शर्मा	30-07-2022	17-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
11	वीरभद्र सिंह	04-08-2022	30-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
12	विजय कुमार	08-07-2022	30-08-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
13	अमित कुमार	15-12-2022	19-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
14	रोबिन सिंह	09-12-2022	23-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
15	कुलदीप सिंह	04-12-2022	23-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
16	मनजीत सिंह	09-12-2022	31-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
17	सुजान सिंह	12-12-2022	31-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
18	अमित	14-12-2022	31-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
19	बलजीत सिंह	04-12-2022	31-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
20	नसीव सिंह	28-01-2023	01-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
21	सुनील कुमार	28-01-2023	15-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
22	रोहित राणा	27-01-2023	21-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
23	शुभम	17-02-2023	27-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
24	नितिन कुमार	09-02-2023	20-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
25	रमनदीप	14-12-2022	15-03-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
26	सुजान सिंह	01-03-2023	16-03-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
27	नन्द लाल	09-03-2023	25-03-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
28	प्रदीप सिंह	15-05-2023	23-05-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
29	अभिषेक कुमार	03-05-2023	23-05-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
30	अक्षय सिंह	05-06-2023	22-06-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
31	नवदीप सिंह	05-06-2023	22-06-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00

43

52

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
32	नरिंदर सिंह	07-06-2023	22-06-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
33	विनोद कुमार	23-06-2023	05-07-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
34	शुभम	23-06-2023	05-07-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
35	शिवानी कुमार	01-07-2023	20-07-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
36	मनोज कुमार	01-07-2023	20-07-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
37	राज कुमार	21-09-2023	27-09-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
38	अमृतांशु राणा	26-09-2023	30-10-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
39	अमित सिंह	26-09-2023	30-10-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
40	रीतेश कौशल	26-10-2023	20-11-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
41	राहुल	23-11-2023	04-12-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
42	अक्षय कुमार	29-11-2023	05-12-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
43	राजेन्द्र सिंह	23-11-2023	18-12-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
44	प्रवीत	19-11-2023	28-12-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
			कुल जोड़	₹ 11,000.00	₹ 0.00	₹ 11,000.00

Total Checked

पंचायत सचिव RAJ KOTHIBANDA
ग्राम पंचायत कोठीवन्डा
वि ख. नगरोटा सुरिया
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

44